

मानचित्र संख्या..... 273/77-93
दिनांक..... 10-6-97

M 1579

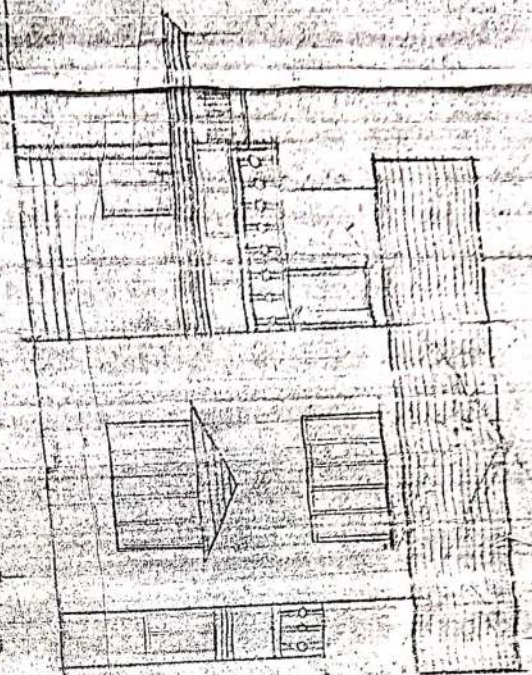
77-11 सुभाष नगर, धर्मपुर
देहरादून

- १- यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से तीन वर्ष तक वैध है उसके बाद कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- २- मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग या स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं।
- ३- मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। प्रयोजन में परिवर्तन होने पर पूरा निर्माण अनधिकृत माना जायेगा।
- ४- यदि भविष्य में किसी विकास कार्य हेतु विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा तथा उक्त क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित किसी परियोजना विकास कार्य हेतु अतिरिक्त विकास शुल्क बिना किसी आपत्ति के जमा करना होगा ताकि उक्त क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क से ही उक्त क्षेत्र का विकास कार्य सम्पादित किया जा सके।
- ५- जो क्षेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा वहां शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
- ६- दरवाजे तथा खिड़कियां इस तरह से लगाई जायेंगी कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बड़े न हो व किसी अन्य मकान की रोशनी व हवा को प्रभावित न करते हों।
- ७- बिजली की लाइन से ५ फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- ८- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सदैव निर्माण स्थल पर ही रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- ९- सड़क सर्वेसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री, विल्डिंग मैटेरियल नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का समुचित प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- १०- निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर आप निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करें। तदोपरान्त ही भवन को प्रयोग में लायेंगे।
- ११- निर्माण के अन्दर यदि कोई वृक्ष आता है तो उसके काटने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- १२- पानी की निकासी के लिये वैड छोड़ना होगा।
- १३- यदि अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त अनुमति तथ्यों को छुपा कर अथवा फर्जा एवं जाली तथ्य प्रस्तुत करके प्राप्त की गई है तो उक्त अधिकारी को यह अधिकार हो कि उक्त अनुमति को निरस्त कर सकते हैं व उक्त मानचित्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा।
- १४- इस मानचित्र की स्वीकृति को भूमि के स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा और किसी न्यायालय में केवल मानचित्र को भूस्वामित्व के साक्ष्य का आधार नहीं माना जायेगा।
- १५- सीलिंग से विवादित भूमि, नजूल भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।
- १६- रोड वाइडनिंग के क्षेत्र में बाऊन्ड्रीवाल गेट अथवा अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- १७- ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की कमी को देखते हुए १५ अप्रैल से ३० जून तक निर्माण नहीं किया जायेगा।
- १८- पर्वतीय भू भाग में कोई हिल कटिंग नहीं की जायेगी।
- १९- भवन निर्माण करते समय भूकम्प से सुरक्षात्मक तकनीक प्रयोग में लाना अनिवार्य होगा।

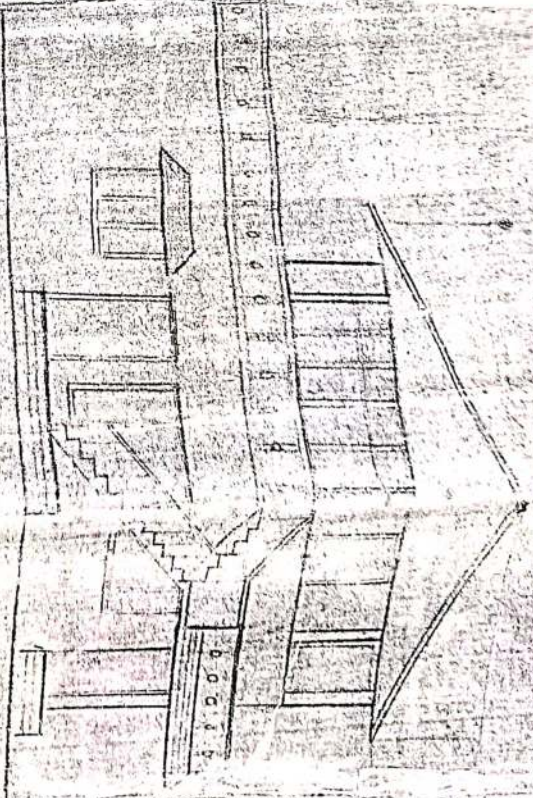
सचिव/उपप्रमुख

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

FRONT ELEVATION

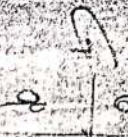
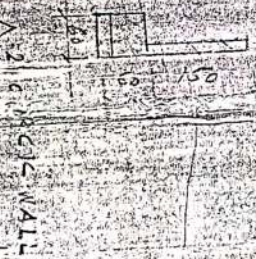


SIDE ELEVATION



24' 0" WALL

FOUNDATION



0.00

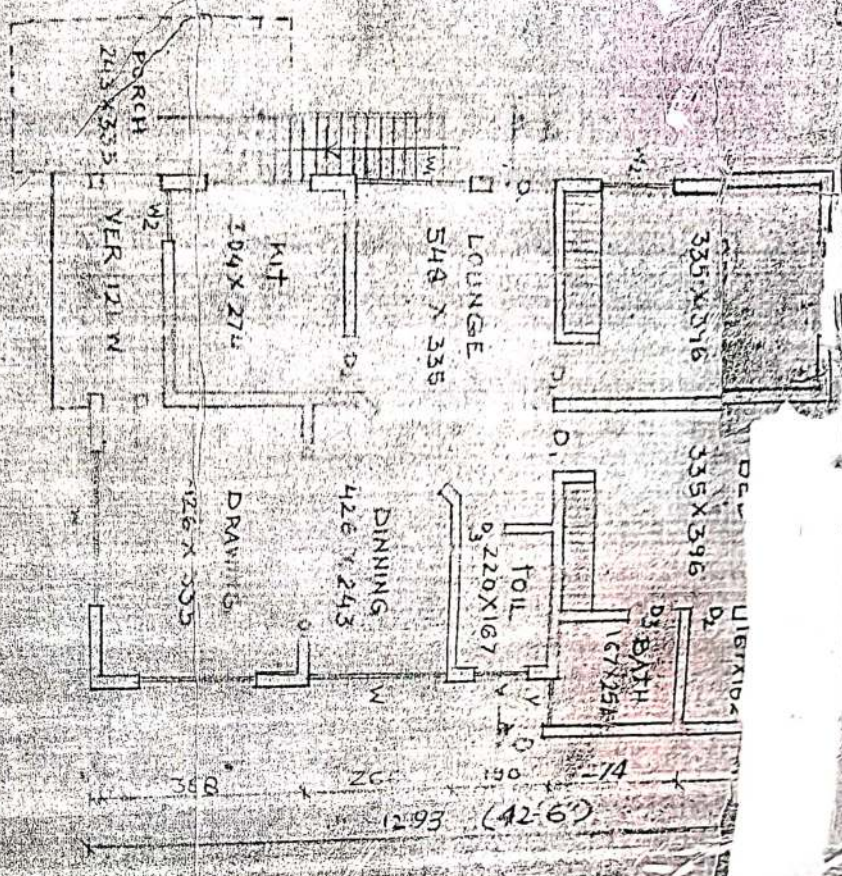
3.20m 2.10m 2.10m

30' WALL

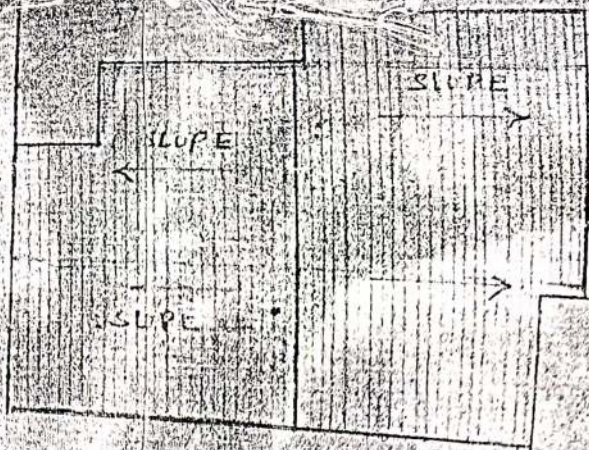
FOUNDATIONS

GROUND FLOOR

ST. FLOOR PLAN



TERRACE PLAN



TERRACE

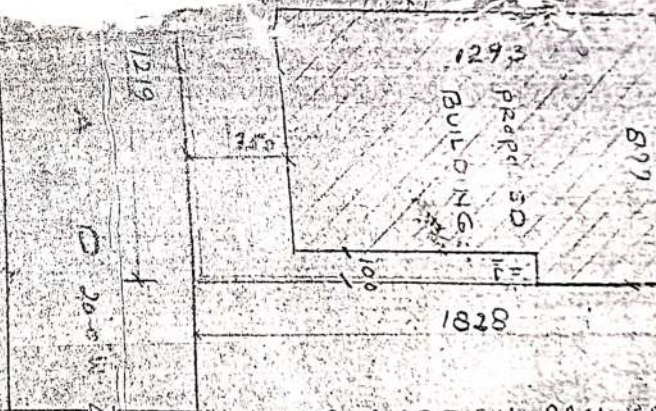
13 E L o W

PROP. OF SH. DEEPAK GOYAL

1828

1219

TERRACE PLAN



PROP. OF SH. DEEPAK GOYAL

PLAN (H.S.)

NATHAN

877

1293

PROP. OF SH. DEEPAK GOYAL

1828

PROP. OF SH. DEEPAK GOYAL



SCALE 1:100
DRN. 1:100

SHEET

1000/550

2. TERRACE

PROPOSED

SEPTIC TANK

50' x 10'

INSPECTION CHAMBER

ARCHITECT

ASHOK KUMAR AGARWAL
REGISTERED ARCHITECT
REG. NO. 111/100

AGARWAL ASSOCIATES

ARCHITECT ENGINEERS

PLANNING CONSULTANTS

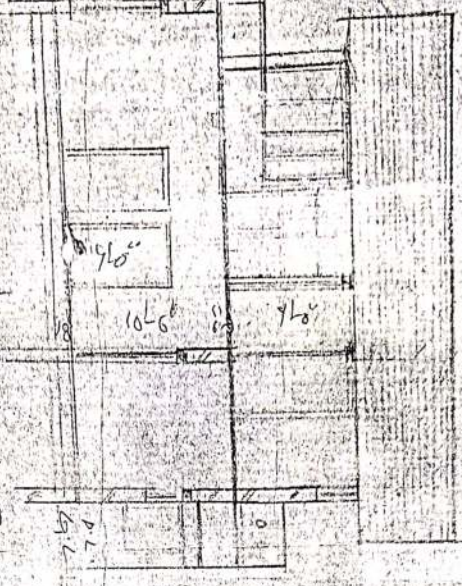
CHENNAI DEHRA DUN

APPLICANT:

(Signature)
(K.C. Poligam)

3.20m 2.10m 2.10m

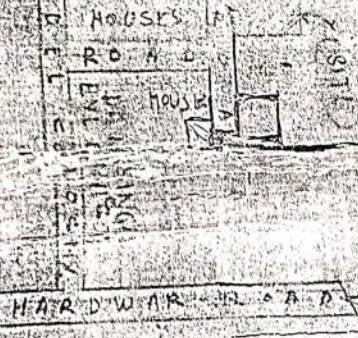
SECTION A-B



10CM THICK
R.C.C ROOF

10CM
25CM
AIR 90CM WIDE

STAIR DETAIL



PLAN (NOTES)

WATER SUPPLY

PROPOSED BUILDING
PLAN FOR SH. KESHAN
BAHUGUNA S/O SH. DATI RAM
BAHUGUNA KH. NO 276 SITUATED
AT MIZO DHARAMPURA PARASHA
NA CENTRAL DISTRICT DUN

RECOMMENDED
FOR SANCTION

संज्ञा नमः, ६ दिनांक १९९९
अथवा १९९९ साल १९९९
संज्ञा नमः १९९९ साल १९९९
१९९९ साल १९९९ साल १९९९

AREA	FEET
TOTAL PLOT AREA	225.00
GROUND FLOOR COV.	119.94
FIRST FLOOR COV. AREA	55.87
TOTAL COV. AREA	167.77
OPEN AREA	111.22
P.A.P.	1.076

SCHEDULE OF DOOR/WINDOW

DOOR	1
DOOR	1
WINDOW	1
WINDOW	1

हमने मानचित्र, उ.प. विभाग के माध्यम से
 कोकिल किया जाता है जो इसकी जांच
 संलग्न किये गये आदेश पत्र संख्या 273/97-98
 दिनांक 12-6-74 अंकित किये गये हैं।

महोदय-देहरादून जिला अधिकारी
 देहरादून

RECOMMENDED
 FOR SANCTION

90CM WIDE

CM

CM

RE DETAIL

PROPOSED BUILDING
 PLAN FOR SH. KUSHAN
 BAHUGUNA S/O SH. DATA RAM
 BAHUGUNA KH. NO 276 SITUATED
 AT MUZA DHARAMPUR PARGA
 NA CENTRAL DDON DISTT D. DUN

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA	220.00 SQ. M.
GROUND FLOOR COV. AREA	111.94
FIRST FLOOR COV. AREA	55.83
TOTAL COV. AREA	167.77
OPEN AREA	111.02
PLANT	0.75

SCHEDULE OF DOOR/WINDOW

DOOR

DOOR

DOOR

WINDOW

W2 WINDOW

PLAN (N.T.S.)

P. NATHAN